उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-173/2019/2679/92-2-19-27जांच/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 25 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्मित मार्गो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जॉच आख्या में उब्ल्यू0बी0एम0 (जी-2) एवं डब्ल्यू0बी0एम0 (जी-3) में फिलर मैटेरियल/स्क्रैनिंग मैटेरियल की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-06/2019/89/92-2-19-27जांच/2018 दिनांक 08-01-2019 द्वारा श्री राम कन्हैया, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ के पत्र संख्या-196/ग्रा0अ0वि0/वै0सहा0/पत्रा0-27/19-20 दि0 01-06-2019 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या दिनांक 01-06-2019 में अपचारी अधिकारी, श्री राम कन्हैया पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से दोनो आरोप पूर्णरूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-1322/92-2-19-27जांच/2018 दि0 12-07-2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 01-06-2019 की प्रति अपचारी अधिकारी, श्री राम कन्हैया को प्रेषित करते हुये उक्त जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में अभ्यावेदन मांगा गया, जो निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 30.09.2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। श्री राम कन्हैया पर स्थापित आरोप सं0-1 व 2 निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर के पैकेज सं0-यूपी-1757 मार्ग गुलावठी स्याना बुगरासी से अहमदानगर (हापुड बार्डर) के विभिन्न चैनेजों पर दृष्टि परीक्षण एवं माप के आधार पर कई स्थानों पर कैम्बर मानक के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके लिये निर्माण कार्य पर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करने एवं कार्यो का भंली भॉति परीक्षण न करने के लिए श्री राम कन्हैया, तत्का0 सहायक अभियंता को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में अवगत कराया है कि उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुये कार्य मानको के अनुरूप कराया गया। प्राविधिक परीक्षक एवं एस0क्यू0एम0 द्वारा किये गये निरीक्षण में कैम्बर से पूरी तरह से मानको के अनुरूप पाया गया था। उक्त के अतिरिक्त तत्का0 मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट में भी मार्ग को संतोषजनक बताया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-2

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत जनपद बुलंदशहर के पैकेज सं0-यूपी-1757 मार्ग गुलावठी स्याना बुगरासी से अहमदानगर (हापुड बॉर्डर) मार्ग की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के द्वारा की गयी, जांच में पाया गया कि डब्ल्यू0बी0एम0 (जी-2) एवं डब्लू0 बी0एम0 (जी-3) में एग्रीगेट, फिलर मैटेरियल/ निंग मैटेरियल निर्धारित मानक से अधिक पाया गया। उपरोक्तानुसार उक्त् कृत्य के लिए तथा अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के लिये निर्धारित मात्रा में आपकी उपस्थिति में टेस्ट न करने एवं कार्य पर समुचित पर्यवेक्षण न करने के लिये जिम्मेदार पाये जाने पर श्री राम कन्हैया, तत्का0 सहायक अभियंता को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में अवगत कराया है कि उनके द्वारा अपने उपस्थिति में कार्य कराते समय जी-2, जी-3 एवं अन्य आवश्यक टेस्ट निर्धारित मात्रा में कराये गये है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत मार्ग पर 03 क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर पार्ट-1 भी निर्गत किये गये है, जिसमें तीनो रजिस्टर में अपचारी अधिकारी द्वारा किये गये विभिन्न टेस्ट मानक के अनुरूप पाये गये है साथ ही एस0क्यू0एम0 द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षण में मार्ग को संतोषजनक (**एस**) श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट तत्का0 मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट में भी मार्ग को संतोषजनक बताया गया है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित दोनो आरोप स्थापित पाये गये। इस संबंध में अपचारी अधिकारी का अभिकथन है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 सडक विकास अभिकरण, लखनऊ उ0प्र0 द्वारा अधिकृत स्टेट क्वालिटी मॉनीटर एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत नेशनल क्वालिटी मॉनीटर द्वारा मार्ग का विभिन्न श्रेणी पर किये गये निरीक्षण में मार्गको संतोषजनक श्रेणी में रखा गया है, परन्तु प्रश्नगत मार्ग की टी0ए0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में मार्ग के कुछ स्थानों पर मार्ग के एक तरफ कैम्बर मानक के अनुरूप नही पाया गया, तथा पर्यवेक्षणीय दायित्व के दृष्टिगत अधिक जिम्मेदारी सहायक अभियंता की है। इसी प्रकार आरोप सं0-2 जिसमें अपचारी अधिकारी को प्रश्नगत मार्ग में डब्ल्यू0बी0एम0 (जी-2) एवं डब्लू0बी0 एम0 (जी-3) में एग्रीगेट, फिलर मैटेरियल/स्क्रैनिंग मैटेरियल निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर कार्य पर समुचित पर्यवेक्षण न करने के आरोप में अपचारी अधिकारी ने अपने अभ्यावेदन में लगभग उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया जो उन्होने अपने विरूद्ध आरोप सं0-1 में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में किया है।

4- श्री राम कन्हैया पर अधिरोपित आरोप संख्या-1 व 2 पूर्णरूप से स्थापित पाये गये है। अत: उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-01-2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद बुलंदशहर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत निर्मित मार्गो की यद्यपि डेढ वर्ष पश्चात किये स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा कियेगये निरीक्षण में प्रश्नगत मार्ग को संतोषजनक बताया गया है किन्तु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच आख्या में मार्ग में कुछ स्थानों पर मार्ग के एकतरफा कैम्बर मानक के अनुरूप नही पाया गया, जो अपचारी अधिकारी द्वारा कार्य पर समुचित पर्यवेक्ष्ण न किये जाने के फलस्वरूप हुआ है, जिसके लिये श्री राम कन्हैया, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर को परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-173/2019/2679(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री राम कन्हैया, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।